32

R 511-III/07

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर §मध्यप्रदेश§

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

क्रमांक RP 4779
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 26-3-07 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Presented by Shri... देवश मिश्रा
Advocate/Applicant on 9/3/07

Reader

Supdt. 9/3/07
Commissioner's office
Rewa Division
Rewa (M. P.)

रामदास तनय रामावतार कुशवाहा ,साकिम मझिगंवा,तहसील-त्यौथर,जिला रीवा§म०प्र०§ --------आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

संतोष कुमार तनय बब्रऊ प्रसाद कुशवाहा ,साकिम मझिगंवा,तहसील त्यौथर,जिला रीवाम०प्र० ------अनावेदक/गैरनिग०क

न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा के प्रकरण क्रमांक 143/निग०/02-03 मे पारित आदेश दिनांक 3-2-07 के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

मान्यवर,

निगरानी का सारांश:-
=================

नायब तहसीलदार वृत्त रायपुर ,तहसील त्यौथर जिला रीवा के न्यायालय मे अनावेदक संतोष कुमार ने और उसके परिवार के प्रभात कुमार ने अलग-अलग सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो सीमांकन पुष्ट किये जाने पर आवेदक ने उक्त दोनो सीमांकनो के विरूद्ध अपर जिलाध्यक्ष महोदय रीवा के न्यायालय मे निगरानी प्रस्तुत किया जो निगरानी स्वीकार कीजाकर पुनः सुनवाई का अवसर देते हुये तहसीलदार की उपस्थिति मे सीमांकन का आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अनावेदक संतोष कुमार ने निगरानी 143/निग./02-03 एवं अनावेदक प्रभात कुमार ने निगरानी 142/निग./02-03 अपर आयुक्त महोदय केन्यायालय मे प्रस्तुत किया जो निगरानी अलोच्य आदेश दिनांक-3-2-07 को स्वीकार कर नायब तहसीलदार के किये गये त्रुटिपूर्ण

अवलोकनार्थ अर्पित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 511–तीन/2007 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुवंर सिंह कुशवाह उपस्थित । आवेदक के अभिभाषक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 143/निग0/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 03.02.07 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराये, जो निगरानी मेमो में अंकित है। 3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आलोच्य आदेश दिनांक 03.02.07 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय तहसीलदार के सीमांकन आदेश को इस आधार पर नहीं माना है कि अधीक्षक भू–अभिलेख के द्वारा दिनांक 18.04.75 को रिपोर्ट दी गई थी कि वास्तविकता की जांच तहसीलदार द्वारा नहीं की गई है इसलिये सीमांकन उचित नहीं है । उनका यह निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । सीमांकन की कार्यवाही एक	

प्रशासनिक कार्यवाही है तथा सरहदी काश्तकारो की उपस्थिति में की जानी चाहिये । प्रस्तुत प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में तथा स्थाई सीमा चिन्हों के आधार लेते हुये विधिसम्मत तरीके से की गई थी। जहां तक अधीक्षक, भू–अभिलेख की पैमाइश आदेश दिनांक 18.04.75 का प्रश्न है । अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर प्रमाणित माना है। इसका कोई स्पष्ट उल्लेख भी नहीं किया है । आवेदक ने आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत न कर मात्र छायाप्रति प्रस्तुत की हैं और छायाप्रति के आधार पर पूरी सीमांकन कार्यवाही को निरस्त करना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 03.02.07 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य